तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 96/2021 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान अचलाराम का.मु. निम्बाराम वगै. बनाम भैराराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11.12.2024

पीठासीन अधिकारी:— श्री ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.

उपस्थित:— श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.12.2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 134/2020 बअनवान भैराराम वगैरा बनाम अचलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.04.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1056/983 रकबा 61.19 बीघा मौजा लुखों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1055/983 व 984 मौजा लुखों का तला प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 06.04.2021 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 22.08.2023 को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2023 की पालना में तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा जरिये पत्रांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व/2024/420 दिनांक 05.04.2024 मौका रिपार्ट पेश की गई। लोक अदालत की भावना से वक्त बहस उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमती से मौका फर्द दिनांक 05.04.2024 में वर्णित बिंदु ए से बी तक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। अपीलाधीन आदेश की पालना में जमा क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन किया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि तहसीलदर बाड़मेर ग्रामीण द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2023 की पालना में पेश मौका रिपोर्ट राजस्व/2024/420 दिनांक 05.04.2024 में प्रस्तावित रास्ता बिंदु संख्या ए से बी तक रास्ता निकलाने पर सहमति जाहिर की तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष की आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 134/2020 बअनवान भैराराम वगैरा बनाम अचलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.04.2021 को निरस्त किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2021 की पालना में राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाण रास्ता जिसे अपीलांटस की खातेदारी में बहाल करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटस के नाम अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण/उतरदाता की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अपील के संलग्न मौका फर्द राजस्व/2024/420 दिनांक 05.04.2024 में संलग्न नक्शा में प्रस्तावित रास्ता बिंदु संख्या ए से बी 3 गट्टा चौड़ाई में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हे। मुताबकि आदेश तहसीलादार बाड़मेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमलदरामद कर लठा ट्रेस में तरमीम करे। क्षतिपूर्ति राशि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2021 की पालना में जमा करवाई गई उसका समायोजन करे। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर